(Authoritative English Text of H.P.Government Notification No. Agr.A-3(17)/95, dated 29-1-97 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Agriculture

...

No. Agr.A-3(17)/95 Dated Shimla-171002, the 29-1-97

NOTIFICATION

The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Gestetnor Operator, Class-IV (Non-Gazetted) in the Department of Agriculture, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:-

Short title and commencement.

1.(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Agriculture Department, Gestetnor Operator, Class-IV(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Repeal and savings.

2(1) The Himachal Pradesh Agricultural Class-III(Executive Section)Service. (Recruitment, Promotion and certain conditions of service)Rules, 1973 notified vide this Department notification No. 16-10/73-Agr.Sectt., dated 30.11.73 are hereby repealed to the extent these pertain to the post of Gestetnor Operator.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, anything done or any action taken under the repealed rules, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By Order

Avay Shukla
Commissioner-cum-Secretary(Agr.)to the

47

Endst. No. Agr-A-3(17)/95 Dated Shimla-171002, the 29-1-97

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the Heads of Departments in H.P.
3. Director of Agriculture, Himachal Pradesh, Shimla-171005, with 5 spare copies.
4. The Controller, Printing & Stationary, H.P.Shimla-171005, for publication in the Rajpatra(Extra-ordinary). A copy of the Rajpatra may kindly be supplied to this Department for record.
5. The Deputy Legal Remembracer to the Govt. of H.P.Shimla-2.
6. 150 spare copies.

Under Secretary(Agr.)to the
Govt. of Himachal Pradesh.

...

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF GESTETNOR OPERATOR, CLASS-IV(NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, H.P.

| | |
|---|---|
| 1. Name of the post: | Gestetnor Operator |
| 2. Number of posts: | 2 (Two) |
| 3. Classification; | Class-IV(Non-Gazetted) |
| 4. Scale of pay(Be given in expanded notation). | Rs.830-30-950-35-1160-40-1320-45-1500 |
| 5. Whether Selection post or non selection post. | Non-Selection. |
| 6. Age for direct recruitment. | Between 18 years and 35 years. |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Recruiting Authority in case the candidate is otherwise well qualified.

Contd...P.2/-

| | |
|---|---|
| 7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits. | a) Essential: i) Should be Middle pass or its equivalent from a recognised Board of School Education/Institution duly recognised by the Central/State Govt. ii) Should possess 2 year's practical experience of operating duplicating Machine. ii) Desirable Qualifications: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh. |
| 8. Whether Age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees. | Age..... No<br>Educational Qualifications As shown in Col. No. 11. |
| 9. Period of probation, if any. | Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. |
| 10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods. | 100% by promotion, failing which by direct recruitment. |
| 11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made. | By promotion from amongst Jamadar/Daftri who have atleast 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc(rendered upto 31.3.91) service, if any, in the grade.<br>Should possess 2 year's practical experience of operating duplicating Machine.<br>(1) In all cases of promotion, the adhoc service rendered in the feeder post upto 31.3.91, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition:-<br>i) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service(including the service rendered on adhoc basis |

Contd...P.3/-

upto 31.3.1991)in the feeder post in view of the provision as referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s)junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation: The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel(Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen(Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

2. Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post upto 31.3.1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered upto 31.3.1991 shall remain unchanged.

| | |
|---|---|
| 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | As may be constituted by the Govt. from time to time. |

Contd...P.4/-

13. Circumstances under which the H.P.Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.

A candidate for appointment to any service or post must be:-

a) a citizen of India, or
b) a subject of Nepal, or
c) a subject of Bhutan, or
d) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India.
e) a person of Indian origin who migrated from Pakistan, Burma, Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania(Formerly Tanzayika and Zanzibar), Zambia, Malwa, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to categories(b)(c)(d)and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Govt. of India.

A candidate in whose case a certificate or eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Govt. of India.

Deleated

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Commission other recruiting authority as the case may be,

16. Reservation

The appointment to the service will be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Powers to relax.

Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

...

5700

हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग
...

संख्या:एग्र-ए-3(17)/95 तारीख:शिमला-2, 29-1-97

अधिसूचना
===========

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश में गैस्टेटनर ऑपरेटर बर्ग-4(अराजपत्रित) पद के लिये, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग गैस्टेटनर ऑपरेटर बर्ग- 4 (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 है।

(11) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

निरसन और व्यावृत्तियाँ ।

2(1) इस विभाग की अधिसूचना 16-10/73-एग्री-सैक्ट तारीख 30.11.73 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग क्लास-111 सर्विस (रिक्रूटमैन्ट, प्रोमोशन एण्ड सरटेन कन्डीशन्ज आफ सर्विस) रूल्ज, 1973 को एतद द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है, जहां तक ये गैस्टेटनर ऑपरेटर के पद से सम्बन्धित है।

(2) परन्तुक ऐसे निरसन के होते हुये भी, निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा

अभय शुक्ला
आयुक्त एवं सचिव(कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार

54



संख्या:एम-ए-3(17)/95- तारीख,शिमला-2, 29-1-97

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला- 2.
2. समस्त विभागाध्यक्ष,हिमाचल प्रदेश ।
3. निदेशक(कृषि) हिमाचल प्रदेश शिमला-171005
4. नियन्त्रक,हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग,हिमाचल प्रदेश,शिमला-171005 को हिमाचल प्रदेश के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । आपसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति रिकार्ड हेतु इस विभाग को उपलब्ध करवायें ।
5. सहायक विधायी पारूपकार(हिन्दी) हिमाचल प्रदेश सचिवालय,शिमला-2
6. उप विधि परामर्शी,हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002,
7. 150 अतिरिक्त प्रतियां ।
8. सहायक विधायी प्रारूपकार हिन्दी विधि विभाग,हिमाचल प्रदेश सचिवालय,शिमला-171002.

अवर सचिव(कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार

....

अनुबन्ध-(क)

कृषि विभाग में हिमाचल प्रदेश में (गैस्टैटनर वर्ग-4 (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम: गैस्टैटनर ऑपरेटर

2. पदों की संख्या: 2 (दो)

3. वर्गीकरण: वर्ग-4 (अराजपत्रित)

4. वेतनमान (विस्तृत रूप में अंकित करें): 830-30-950-35-1160-40-1320-45-1500

5. चयन अथवा अचयन: अचयन।

6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु: 18 से 35 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गये पहले से सरकारी की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति पद विज्ञापित या नियोजनालयों को भेजे जाते हैं

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।

| | |
|---|---|
| 7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं: | (क) अनिवार्य:- (1) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से आठवीं पास या इसके समकक्ष हो,<br>2(11) अनुलिपिकरण यन्त्र को चलाने का 2 बर्ष का व्यवहारिक अनुभव रखता हो ।<br>(ख) बान्छनीय अर्हताऐं<br>हिमाचल प्रदेश की रूढियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विधमान विभिन्न दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता । |
| 8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताऐं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नही, | आयु: लागू नहीं ।<br>शैक्षणिक अर्हताऐं: जैसी स्तम्भ: संख्या: 11 में दर्शायी गई हो । |
| 9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो, | दो बर्ष जिसका एक बर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें । |
| 10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । |
| 11. प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनके प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा । | जमादार/दफ्तरी में से प्रोन्नति द्वारा जिनका ग्रेड में कम से कम 3 बर्ष का नियमित सेवाकाल या (31.3.91 तक की गई) लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित कर कम से कम 3 बर्ष संयुक्त नियमित सेवाकाल हो अनुलिपिकरण यन्त्र को चलाने का 2 बर्ष का व्यवहारिक अनुभव रखता हो । |

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भारण पद में 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इन शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी ।

(1) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भारण्ता पद पे अपने कुल सेवाकाल (31.3.91) तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-2 प्रवर्ग/ पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते सम कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्युनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी:

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण:

============

अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए पात्र नही समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 (के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो या जिसे एक्स सर्विसमेन (रिजर्वेशन आफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी ।

परन्तु 31.3.91 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

| | |
|---|---|
| 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना । | जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाऐ । |
| 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाऐं । | जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है । |
| 14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा । | किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के समय अभ्यर्थी निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए ।<br>(क) भारत का नागरिक हो या<br>(ख) नेपाल की प्रजा या<br>(ग) भूटान की प्रजा या<br>(घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई निवास के अधिवास के लिए आया हो ।<br>(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका के देशों कीनिया, यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पहले तन्जानिया और जंजीबार) जाम्बिया, मालवा, जेयर तथा इथोपिया से, भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास किया है: परन्तु प्रवर्ग (ख) (ग) (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया हो ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पद के आधार पर यदि यथास्थिति हि0प्र0 लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकता किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात ही, दिया जाएगा । |
| 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन । | सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर, और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाऐगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा । |